

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602856

ग्राम क्रमांक :  
115192

ग्राम का नाम (परगना) :  
सोनकपुर(मुरादाबाद)

तहसील :  
मुरादाबाद

जनपद :  
मुरादाबाद

फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून,  
2024)

भाग : (1)खाता संख्या :  
1 00176

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
खसरा गाटा संख्या	नाम पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	वर्ष	गाटा (यूनीक कोड)	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	हिस्से में	क्षेत्रफल में (हे.)	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
651मि	1) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण		1404फ	651मि(1151920651200112)	0.1800	1) 1/1	1) 0.1800	1212.40
							0.1800	

कुल गाटे - 1 कुल क्षेत्रफल - 0.1800 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 1212.40 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1800)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)	नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	क्षेत्रफल (हे.)
		651मि(1151920651200112)			651मि(1151920651200112)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

## आदेशों का विवरण

- 1) 1409फ आदेशानुसार अपर उपजिलाधिकारी मुरादाबाद वाद सं.89/119,11/16 23.97धारा 229वी ज.वि. अधिनियम आदेश दि.15.1.2002 अन्तर्गत हवीबुल्ला आदि इशरार हुसैन आदि मे वादीगण हवीबुल्ला, हमीदुल्ला, अब्दुल हमीद, भूरे, साविर हुसैन पुत्रगण मटरू, मुनीर पुत्र शुबराती, गुलाम हुसैन, साहदत हुसैन, रियासत
- 2) हुसैन पुत्रगण सुजाती, फकीर मोहम्मद, अली मोहम्मद पुत्रगण नवाजी व श्रीमती मुन्नी बेगम वेवा नूरमोहम्मद, अनवार पुत्र छुट्टन नि.गण सोनकपुर तह0व जिला मुरादाबाद के शाबिक गाटा सं.66 रकबा 0.31 एकड़ नया गाटा सं.83 व रकबा 0.31 एकड़ का संक मणीय भूमिधर घोषित कि या जाता है ह.ले.22.3.02
- 3) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ./मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर मे गाटा सं 263 पर अमलदरामद मे हुई टुटि का परिक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि से 1.25एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 4) प्राधिकरण के नाम तथा इसी नम्बर से 1.02एकड़ भूमि नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हो ह.ले.25.10.02
- 5) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं. 647/31.12.2002को आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263मि रकबा 2.27एकड़ मे से 0.32एकड़ लगान 45.00के वाकदर भाग से रामराज सिंह विश्रोई पुत्र रामसरन विश्रोई नि.वी.एस-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.कालौनी, मुरादाबाद बहैसियत मुख्तारे आम
- 6) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायन दास नि. झांझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्रोई पत्नी रामराज सिंह विश्रोई नि.वी.एस-41 दीनदयालनगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजराम सिंह पुत्र रामसरन सिंह नि.विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिए बैनामा दर्ज हो ह.ले.31.1.03
- 7) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि /0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश:2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास नि.
- 8) झांझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिए बैनामा दर्ज हो ह.ले.31.1.03
- 9) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, मुरादाबाद पत्रांक 618/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद /2009 दिनांक 21.08.2014 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित भूमि गाटा संख्या 260 रकवा 0.35एकड़ अर्थात 0.142 हे0 के 1/5 भाग से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का
- 10) नाम खारिज कर श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 यादराम सिंह, श्री हुकम सिंह, श्री भोजराम व श्री नरेश पुत्रगण स्व0 यादराम निवासी ग्राम झांझनपुर पोस्ट सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम दर्ज हो 1 ह0आर.के 025.08.14
- 11) 1422फ आदेशानुसार श्रीमान विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, मुरादाबाद पत्रांक 619/आठ-वि0भू0 व्य0अ0अ0/मुरादाबाद/2009 दिनांक 21.08.2014 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित भूमि गाटासं0 376मि रकवा 0.16 ए. से मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का नाम खारिज कर
- 12) श्री प्रदीप कु मार महरोत्रा पुत्र श्री रामनरायन सिंह, निवासी मोहल्ला डहरिया तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह0आर.के 026.08.14
- 13) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरादाबाद द्वारा वाद सं टी 2016135415014674 धारा 34 उ प्र राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 10-01-2017 के अन्तर्गत उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण बनाम अरविन्द मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं 170 के खसरानं 638मि रकवा 0-269हे लगान 6-70 पर पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 28-05-2010 इस सीमा तक निरस्त किया जाता है कि उमाकान्त पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम झांझनपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम 1/2 भाग पर पूर्व की भांति सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 17-12-2016 के क्रम मे यथावत दर्ज रहेगा हआरके28-1-17

Data Digitally Signed by:RAM SINGH RAWAT (REGISTRAR KANOONGO)  
दिनांक समय स्थान: 12-02-2026 02:35:43 तहसील: मुरादाबाद

यह दस्तावेज नवीनी टनकटानक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : TUSHAR BHATNAGAR तहसील : मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 02:35:43

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतोमी का वेरीफिकेशन  
<https://upbhublkh.gov.in> पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

# उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 115192202602855

ग्राम क्रमांक : 115192      ग्राम का नाम (परगना) : सोनकपुर(मुरादाबाद)      तहसील : मुरादाबाद      जनपद : मुरादाबाद      फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024)      भाग : 1      (1)खाता संख्या : 00377

श्रेणी : 4-क उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण,अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धों के अधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
651 मि	1) अतिरिक्त घोषित भूमि --- ---			651 मि(1151920651200242)	0.1520	1) 1/1	1) 0.1520	6.82
							0.1520	

कुल गाटे : 1      कुल क्षेत्रफल - 0.1520 (हेक्टेयर)      कुल भू-राजस्व - 6.82 रुपये      कुल अंश का क्षेत्रफल - ( 0.1520)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया	
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		651 मि(1151920651200242)			651 मि(1151920651200242)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

## आदेशों का विवरण

- 1) 1410फ आदेशानुसार सक्षमप्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.150/न.भू.सी.2003दि.1.6.03 के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र सं.93दि.19.5.03के अन्तर्गत इस कार्यालय की पत्र सं.93दि.19.5.2003 के द्वारा वाद सं.315/1201सरकार बनाम पूरन मे अतिरिक्त घोषित भूमि गाटा सं.263/2043.20वर्ग
- 2) मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर संबंधित भू धारक पूरन अथवा उसके वैध वारिसानो का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हो ह.ले.8.7.03
- 3) 1410फ आदेशानुसार रा0 नि0 पाकबड़ा द्वारा प.क.11 क दि.21-7-03 को आदेश हुआ कि खाता स. 370 से मृतक पूरन के स्थान पर नन्हे पुत्र पूरन नि ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.21-7-03
- 4) 1410फ आदेशानुसार विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक सं.1183/आठ वि.भू.अ.अ./मुरादाबाद दि.16.3.2002के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर मे गाटा सं. 263पर अमलदरामद मे हुई त्रुटि का परीक्षण कराकर संशोधन कि या गया के अनुसार गाटा सं.263मि/1.25 एकड़ के स्थान पर 0.94एकड़ भूमि मुरादाबाद विकास
- 5) प्राधिकरण के नाम तथा इसी न.से 1.02 एकड़ भूमि नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के आदेशानुसार राजस्व अभिलेखो मे दर्ज हो ह.ले .25-10-02
- 6) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार मुरादाबाद वाद स.647/ 31-12-02 को आदेश हुआ कि खाता स. 240,295,370, के गाटा स0 263मि /2.27एकड़ मे से 0.32 एकड़ लगान 45.00 रु के बकदर भाग से रामराज सिंह विश्रोई पुत्र रामसरन विश्रोई नि.वी.एस-41 दीनदयालनगर एम.डी.कालोनी मुरादाबाद वहीसियत मुख्तयारेआम
- 7) श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास नि.झांझनपुर के नाम खारिज होकर श्रीमती मनीषा विश्रोई पत्नी रामराज सिंह विश्रोई वि.एस.-41 दीनदयाल नगर एम.डी.ए.शहर मुरादाबाद व गजरामसिंह पुत्र रामसरनसिंह नि .विकास नगर लाईनपार शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह ले
- 8) ह ले.31-1-03
- 9) 1410फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.491/ 22.12.02आदेश हुआ कि खाता सं.240,295,370के गाटा सं.263/0.26एकड़ व गाटा सं.336मि /0.24-1/2 एकड़ लगान क्र मश: 2.60व 2.45के पूर्ण भाग से रामकली उर्फ रामवती पत्नी नरायनदास व हरप्रसाद व मोहन सिंह व राजकु मार पुत्रगण नरायनदास
- 10) नि झांझनपुर के नाम खारिज होकर अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.मौ.कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम जरिये वेनामा दर्ज हो ह .ले. 31.1.03
- 11) 1411फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद सं.511/353/03धारा 34एल.आर.एक्ट आदेश दि. 23.1.2004के अन्तर्गत भानुप्रकाश बनाम मु.पुनिया मे गाटा सं.263मि रकबई 0.63.मि -2043.20वर्ग मीटर स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद का राज्य सरकार का नाम खारिज करके भानुप्रकाश पुत्र
- 12) स्व0ओमप्रकाश नि.ग्राम दलपतपुर तह0व जिला मुरादाबाद का नाम वजरिये अपंजीकृ त वसियतनामा दि.27.10.95के आधार पर दर्ज हो । प.क.11क का इन्द्राज दि.12.12.1994खारिज हो ह.ले.24.1.04
- 13) 1411फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक सं.584/न.भू.सी./03दि. 8.12.2003के अन्तर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976के अन्तर्गत प्रश्रगत भूमि गाटा सं.263 श्रीमती पुनिया के नाम है । पूरन और पुनिया दोनो की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी स्थिति मे
- 14) मे गाटा सं.263मि.जो पुनिया के नाम था का श्रीमती पुनिया पत्नी पूरन नि.सोनकपुर मुरादाबाद के जो भी वैध वारिसान हो के नाम दर्ज हो ह.ले.24.1.04
- 15) 1411फ आदेशानुसार तहसीलदार साहब वाद सं.358/ 23.4.04आदेश हुआ कि खाता सं.370के गाटा सं.336 मि /0.24-1/2एकड़ L.R.2.45के पूर्ण भाग से अमृतलाल बजाज पुत्र लक्ष्मनदास बजाज नि.कोठीवाल नगर मुरादाबाद का नाम खारिज होकर श्रीमती ऊ षा वर्मा पत्नी घनश्याम वर्मा नि.बाजार कलौ मंडावर बिजनौर
- 16) व श्रीमती कमला श्रीवास्तव पत्नी स्व0राजबहादुर नि. लाईनपार मुरादाबाद का नाम बजरिए बेनामा दि.12.4.2003 के आधार पर दर्ज हो ह.ले.27.4.04
- 17) 1408फ आदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरा.पत्रांक सँ.220B/न.भू.सी/2001दि. 2.3.01के अत्रगत वाद सँ.264/2699सरकार बनाम नरायणदास मे धारा 45के अत्रगत सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.8.7.94मे गाटा सँ.336मि/ 1983.03वर्ग मी.गाटा सँ. 1.263मि/2116.20वर्ग मी.
- 18) भूमि पर राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित भू- धारक नरायण दास पुत्र बाबू नि.सोनकपुर या उसके वैध वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हो ह. ले. 11.5.2001
- 19) 1409फ आदेशानुसार रा.नि.पाकबड़ा द्वारा प.क.11क दि.10.4.2002को आदेश हुआ कि खाता सँ.370से मृतक नरायनदास के स्थान पर हरप्रसाद,मोहनसिंह राजकुमार पुत्रगण नरायनदास व श्रीमती रामकली उर्फ रामवती पत्नी स्व.नरायनदास नि.ग्राम के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह. ले. 10.4.2002
- 20) 1414फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद वाद स0688/134/1601/06आदेश दिनाक 31.1.07 को आदेश हुआकि खातास0370गाटास0303मि रकवा 0.221व गाटास0239मि/0.117पर अतिरिक्त घोषित भूमि के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनाक 8-5-06व20-1-07के आधार पर मूलकाशतकार
- 21) ग्ँ गाराम उर्फ गजराम व कु व्ँ रसेन पुत्र खिम्मी नि0सोनकपुर का नाम तथा बादहू विक्र य पत्र ग्ँ गाराम आदि बहक अमृतलाल आदि एव0 विक्र य पत्र अमृत लाल आदि बहक कॅ चन तलवार के आधार पर ग्राम सोनकपुर ि स्थित आराजी खातास0370गाटास0303मि/0.221है0 मे से 0.202भाग से ग्ँ गाराम उर्फ गजराम
- 22) व कु वर सेन पुत्र खिम्मी ि नि0सोनकपुर का नाम खारिज क रके श्रीमती कॅ चन तलवार पत्नी सी0एल0तलवार नि0102कोठीवाल नगर शहर मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे दर्ज हो ह0आर0के 0दिनाक 31-1-07

- 100फ आदेशानुसार नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक स्. 132B/न.भू.सी./2001दि.14.5.01 स्. 10890B/न.भू.सी./99दि.8-4-99के द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं अधिकतम अवनियमन 1976की धारा 10(1)के अन्तर्गत भू-धारिका श्रीमती कमला वही पत्नी साहू चुन्नी लाल नि.सिविल लाईन मुरादाबाद ग्राम सोनकपुर
- 24) स्थित गाटा स्. 10355के 1.2भाग की भूमि सक्षम प्राधिकारी के अधिनियम की धारा 10(2)के अन्तर्गत आदेश दि.12.5.98 को भू-धारक के पक्ष में छोड़ दिया है ह.ले.2.7.01
- 25) 1415फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक स्. 10235/न.भू.सी./07दि.29.11.07 के अन्तर्गत पूर्व में अमलदरामद की गई भूमि ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स्. 190मि 1423.20वर्ग मीटर व ग्राम मऊ स्थित गाटा स्. 1516मि/1144.72वर्ग मी.कु.ल 2567.92वर्ग मीटर पर राज्य सरकार के स्थान पर श्री वलवीर
- 26) सरन भटनागर पुत्र स्व.रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद के पक्ष में दर्ज हो तथा उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रूपकि शोर भटनागरपुत्र रामचन्द्र नि.हरथला मुरादाबाद की सीलिंग वाद स्. 11448/5011में सक्षम प्राधिकारी के आदेशदिनांक 29.10.80 के द्वारा अतिरिक्त घोषित भूमि ग्राम मऊ स्थित गाटा स्. 190मि रकवा 1423.20वर्ग मी0कु.ल 2567.92वर्ग मी0भूमि पर तहसीलदारमुरादाबाद द्वारा दिनांक 15.1.90को राज्य सरकारमें पक्ष में कब्जा लिया गया तथा उक्त भूमि राज्यसरकार के पक्ष में दर्ज हो ह0आर0के 010.3.08
- 28) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.23.10.08के अनुपालन में आदेश न्यायालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद वाद सं.305/944धारा 45नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 आदेश दि.10.4.92के अन्तर्गत सरकार
- 29) वनाम जेटू में गाटा स.866व844जो नगर पालिका की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर स्थित है की क्रमश.4856-40वर्ग मी0व647.52वर्ग मी0अर्थात कुल 5503.92वर्ग मी0भूमि उसकी कुल 8393.52 वर्ग मी0में से कम की जाती है जिसे कम करने पर उसके पास कुल भवन सहित 2889.60वर्ग मी0भूमि होती है
- 30) अतः भूधारक की 889.60वर्ग मी0भूमि अतिरिक्त घोषित की जाती है जो गाटा स.650से अभ्यर्पित की जायेगी तदनुसार आदेश दि.8.8.77संशोधित समझा जाय तथा ह0आर0के 0दि3.11.08
- 31) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद के पत्रांक 158/न0 भू0सी0/08दि.30.7.08के अनुपालन में पत्रांक 114/न0 भू0सी0/03दि.28.5.03के अन्तर्गत सीलिंग वाद स्. 11532/5019में दायर अपीलमें माननीय अपर जिलाजज षष्ठ मुरादाबाद के
- 32) आदेश दि.29.5.95के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त किया गया तथा वाद रिमाण्ड किया गया जिसके विरुद्ध माननीय उच्चन्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका स्. 16729/97माननीय न्यायालय के आदेश दि.15.3.97के द्वारा खारिज की गई तथा तत्पश्चात निरसन अधिनियम
- 33) 1999प्रभावी हो जान के कारण स्. 10सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.4.3.2003के द्वारा उक्त वाद निरसित किया गया तथा वाद पत्रावली निक्षेप की गई तदनुसार वाद में कब्जा ली गई निम्न लिखित भूमि पर भूधारक के पक्ष में कब्जा छोड़ने तथा राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के स्थान
- 34) पर भूधारक श्री वालकिशोर भटनागर पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र नि0हरथला के नाम दर्ज हो ग्राम का नाम/गाटा स्. 10/क्षेत्रफल वर्ग मी0 मे क्रम स्. 1-ग्राम मऊ गाटा स्. 1516मि रकवा 1144.72वर्ग मी0 व 2-ग्राम सोनकपुर गाटा स्. 190मि रकवा 1443.83वर्ग मी0 कुल 2किता रकवा 2588.55वर्ग
- 35) मी0 ह0आर0के 07.3.09
- 36) 1416फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार मुरादाबाद . वाद सं.1856/28.5.09को आदेश हुआ कि ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद के खाता सं.385 के खसरा न.866 रकबा 0.486 हे0 लगानी बमुजिब . खतौनी के पूर्ण भाग में से 0.80 एकड़ पर से विक्रेता . चन्द्रसैन पुत्र स्व0 जेटू निवासी मिलक भोला सिंह तह0
- 37) व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज होकर क्रेता शेर सिंह पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह0 अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम सहखातेदार के साथ .स0 भू0के रूप में द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 4.7.92के आधार पर दर्ज कागजात हो तत्पश्चात मृतक शेर सिंह . पुत्र मोती सिंह निवासी ग्राम सलारपुर माफी तह0.
- 38) अमरोहा जिला जे.पी.नगर का नाम खारिज होकर उसके स्थान पर श्रीमती कान्ति देवी पत्नी राममनोहरलाल .निवासी हाल खुशहालपुर तह0 व जिला मुरादाबाद का नाम द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 2.1.95 सं0 भू0 के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित हो ह0आर.के.. 5.6.09
- 39) 1417फ.आदेशानुसार श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विविध निगरानी सं.शून्य /2007-08 धारा 219 एल0 आर0 एक्ट आदेश दिनांक 29.7.2008के अन्तर्गत उमा शंकर शर्मा आदि वनाम भानुप्रकाश आदि में खाता सं.195 पर प्रतिपक्षी गण दिनांक 1.9.2008के लिए नोटिस जारी
- 40) किये जाय तथा अवर न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली अपील सं.7/89/07 एवं अपील सं.26/123 उमा शंकर शर्मा वनाम भानुप्रकाश आदि तथा तनवीर अहमद आदि वनाम भानुप्रकाश आदि एवं विचारण न्यायालय द्वारा निर्णत पत्रावली वाद सं.353/03 भानुप्रकाश वनाम मु.पुनिया तथा वाद सं.97 भानुप्रकाश वनाम श्रीमती
- 41) पुनिया तलव की जाय तथा तब तक प्रतिपक्षी सं.1 भानुप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश नि.दलपतपुर तह0 व जिला मुरादाबाद को वाद ग्रस्त आराजी का किसी प्रकार अन्तरण/विक्रय करने से निषेध किया जाता है तथा ह0आर0के 0दि 25.7.09
- 42) 1417फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दि.22.9.09के अनुपालन में आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 278/न0 भू0सी0/08 दिनांक 3.10.08के अन्तर्गत शासन देश स.513/उन्वास-152(47)यू0सी0/83 दिनांक 6.9.86के द्वारा सक्षम प्राधिकारी का आदेश निरस्त करते
- 43) हुये नये सिरे में भूमि सीमा के निर्धारण की कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रत्यावर्तित की गई तथा तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि.24.12.87 द्वारा ग्राम सोनकपुर स्थित स्थित गाटा स.879 से

1. 873 से 654.44 व 0 मी 0 कु ल 9598.31 व 0 मी 0 भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गई । सक्षम प्राधिकारी के आदेश दि. 17.2.01 के द्वारा निरसन अधिनियम 1999 के अनुसार वाद पत्रांक पत्रावली निक्षेप की गई तथा इस कार्यालय के पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01 के द्वारा ग्राम सोनकपुर गाटा स् 1.879/ 8943.87 व 0 मी 0 गाटा 1.873/ 654.44 व 0 मी 0 कु ल 9598.31 व 0 मी 0 भूमि से राज्य सरकार के स्थान पर भूधारक श्री वफातीका नाम अंकि त करने हेतू लिखा गया
- 45) जबकि उक्त वाद मे गाटा स् 1.879/ 8947.87 व 0 मी 0 व गाटा सं. 873 रकबा 1059.14 व 0 मी 0 का कब्जा दिनांक 22.3.79 को तहसीलदार मुरादाबाद द्वारा लिया गया । अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व मे जारी पत्रांक 217 वी दिनांक 2.3.01 के प्रस्तर-3 मे अंकित ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा स् 1.873/654.44 व 0 मी 0 के
- 46) स्थान पर 1059.14 व 0 मी 0 सही पढा जाय । ह 0 आर 0 के 023.9.09
- 47) 1417 फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 100/न 0 भू 0 सी 0/010 दिनांक 30.4.10 के अत्रतगत वाद सं. 2759/101 सरकार वनाम हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा 0 लि 0 मे धारा 10(3) के उपरान्त धारा 10(5) की कार्यवाही न होने के कारण निरसन अधिनियम 1999 के अत्रतगत सक्षम
- 48) प्राधिकारी के आदेश दि. 20.2.08 के द्वारा वाद पत्रावली यथा स्थिति निक्षेप की गई है अतः गाटा सं. 538/1133.16 व 0 मी 0 गाटा सं. 541/654.45 व 0 मी 0 भूमि पर हिन्द निहोन प्रोटीन प्रा 0 लि 0 मुरादाबाद का नाम दर्ज हो ह 0 आर 0 के 0 दि 5.5.10
- 49) 1417 फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा 0 वाद स् 1.455/28.5.10 को आदेश हुआ कि खाता स् 1.385 के गाटा स् 1.866/0.486 हे. लगान व मुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्रि ता चन्द सैन पुत्र स्व 0 जे 0 नि 0 ग्राम भोला सिंह की मिलक सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्र े ता
- 50) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह 0 आर 0 के 0 16.6.10
- 51) 1418 फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक मुरा 0 वाद स् 1.117/28.5.10 को आदेश हुआ कि खाता स् 1.385 के गाटा स् 1.866/0.486 हे. लगान व मुजिव खतौनी के वकदर भाग से विक्रि ता श्रीमती कान्ती देवी पत्नी राम मनोहर लाल नि 0 ग्राम खुशहालपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज कर क्र े ता
- 52) उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का नाम वजरिये वैनामा दर्ज हो ह 0 आर 0 के 0 27.7.10
- 53) 1418 फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद स् 1.77/10 धारा 143 ज 0 वि 0 अधि 0 आदेश दि. 18.6.10 के अत्रतगत मे हिन्द निहोन प्रोटिन्स वनाम सरकार मे तहसील आख्या / सस्तुति के आधार पर खाता स् 1.30 गाटा स् 1.566 0.028 का 1/2 भाग एंव खाता स् 1.385 के गाटा स् 1.538 मि 0/0.113
- 54) 541 0.065 हे को अकृ षिक घोषित कि या जाता है तथा लगान समाप्त कि या जाता है ह 0 आर 0 के 0 018.8.10
- 55) 1420 फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद, वाद सं. 31/820/454/2011-12 धारा 34 LR ACT ग्राम सोनकपुर तह 0 व जिला मुरादाबाद खाता सं. 371 गाटा सं. 263/2043.20 वर्ग मी 0 भानुप्रकाश वनाम . मु 0 पुनिया मे दिनांक 19.9.12 के अन्तर्गत प्रश्नगत वाद मे वसीयत अपंजीकृ त होने के फलस्वरूप धारा 169
- 56) मे हुए संशोधन के अनुसार मान्य नहीं है तथा खसरा सं. 263 मे मौके पर आबादी / गैर कृ षि भूमि होने के कारण इस भूमि पर उ 0 प्र 0 ज 0 वि 0 एवं भू 0 व्य 0 अधि 0 के प्रावधान लागू नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विधि लागू है. विरासत का वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है, उक्त विवेचना के
- 57) आधार पर नामान्तरण प्रसूचना निरस्त की जाती है. ह 0 आर. के... 1.4.2013
- 58) 1422 फ आदेशानुसार श्रीमान नगर भूमि सीमा रोपण - सक्षम प्राधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 730/न 0 भू 0 सी 0/ रि 0 ट 0/2014 दिनांक 18 नवम्बर 2014 के क्र म मे . मा 0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 35789/ 2011 ख खमानी बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा 0) मे पारित आदेश दिनांक 07.07.2014 व दिनांक
- 59) 31.10.2014 के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद की गाटा सं. 669 रकबा 2549.61 वर्ग मी 0 भूमि पर जो अतिरिक्त सीलिंग भूमि के खाते मे अंकि त है, जिसे निरस्त कर भूधारक खमानी पुत्र तुलाराम का नाम इस शर्त के साथ अंकि त कि या जाये, शासनादेश संख्या 319 जी 0 क दिनांक
- 60) 14.01.1980 मे धारा 20 के अन्तर्गत उल्लिखित निम्नलिखित शर्तो का रिमार्क कॉलम मे अंकन कि या जाये कि 1- भूमि का उपयोग के वल कृ षि के लिये कि या जायेगा, 2- भूमि प्लानिंग कर विक्रय अन्तरण नहीं कि या जायेगा, परन्तु कृ षक प्रयोजन हेतु विक्रय अन्तरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से
- 61) कि या जायेगा, 3- कृ षक प्रयोजन हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये बन्धक अन्तरण अधिनियम की धारा -19(एक) (तीन) में उल्लिखित कि सी बैंक, वित्तीय संस्था अथवा. के न्द्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित विनिर्दिष्ट कि सी वित्त निगम या वित्तीय संस्थान के पक्ष मे कि या जा सके गा, ह 0 आर. के... 2.12.2014
- 62) 1423 फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार न्यायिक, मुरादाबाद द्वारा वाद सं 0 T 2151354014307 आदेश दि. 24.8.15 को आदेश हुआ कि खाता सं. 371 के गाटा सं. 263/1 रकबा 0.2020 हे. अर्थात 2020.00 वर्ग मीटर लगान व मुजिव खतौनी पर अंकि त मृतका श्रीमती पूनिया पत्नी पूरन के स्थान पर भानुप्रकाश पुत्र
- 63) स्व 0 ओमप्रकाश नि 0 ग्राम दलपतपुर का नाम बतौर वारिस सं 0 भू 0 के रूप मे अंकि त हो ा राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प 0 क 0 11 ख आदेश दि. 12.2.1994 निरस्त कि या जाता है ा ह 0 आर. के 0 031.8.15
- 64) 1423 फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर, मुरादाबाद द्वारा वाद सं 0 T 20151354014413 धारा 210 एल 0 आर 0 एक्ट आदेश दि. 28.08.2015 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र आदि बनाम भानुप्रताप शर्मा मे खतौनी वर्ष 1420-25 के खाता सं. 371 के खसरा नं. 263/1 रकवई 0.2020 हे. अर्थात 2020.00 वर्ग

- 66) लगान बमुजिव स्थित भूमि ग्राम सोनकपुर तह0 व जिला मुरादाबाद अवर न्यायालय का आदेश दि. 24.08.2015 अग्रिम आदेशो तक स्थगित किया जाता है । ह0आर.के 07.9.15  
1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद द्वारा वादसं0120141354015842 आदेश दि. 15.09.15 को आदेश हुआ कि खातासं.371के खसरानं.873मि रकवा 0.040हे. लगान  
बमुजिव खतौनी के बकदर भाग मे से 0.0100हे. पर से विकेता वफाती पुत्र इतवारी नि0 ग्राम मिलक भोला सिंह
- 67) सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद का नाम खारिज करके उनके स्थान पर केंता श्रीमती श्रुति श्रीवास्तव पत्नी शैलेन्द्र सक्सेना निवासी डी-73 , आवर्तिका कालौनी, शहर व तहसील व जिला  
मुरादाबाद का नाम सहखातेदार के रूप मे बजरिये बेनामा दि.20.02.14 के आधार पर सं0भू0के रूप मे दर्ज हो ा ह0आर.के 0
- 68) 30.09.15
- 69) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर, मुरादाबाद के आदेश दि.08.06.16के अनुपालन मे ग्राम सोनकपुर की खातासं.371 पर त्रुटिवश न्यायालय तहसीलदार सदर, मुरादाबाद वादसं.  
T20141354015892 आदेश दि. 15.09.15 दर्ज हो गया है । की त्रुटि की शुद्धि करते हुए उक्त
- 70) आदेश खाता संख्या 252 पर अंकित कि या जाता है । ह0आर.के 08.6.16
- 71) 1423फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद , पत्रांक 2060/न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 30.05.16 के अन्तर्गत महबूब पुत्र श्री फै जवबख्श निवासी मिलक भोला  
सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं.-316/1589 मे धारा -45 के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के
- 72) आदेश दिनांक 28.02.1992के द्वारा ग्राम सोनकपुर के गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा सं.296 से 8255.88 वर्गमीटर भूमि  
अतिरिक्त रिक्त घोषित की गयी है .जिसके सम्बन्ध मे धारा-10(5) का नोटिस दिनांक 09.11.1993 को जारी कि या गया
- 73) तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे . अमलदरामद कि या गया . लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा -10 (5)के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न होने के कारण  
निरसन अधिनियम -1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28.5.16 के द्वारा उक्त
- 74) वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है, ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा सं.620 से 4168.41वर्ग मीटर व गाटा सं.547 से 629.17 वर्गमीटर व ग्राम भीमाठेर  
के गाटा सं.296से 8255.88वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर भूधारक
- 75) श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित करें , ह0आर.के ...17.6.2016
- 76) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2060/न0भू0सी0/2016 दिनांक 30-05-16 के अन्तर्गत श्री महबूब पुत्र फैजवख्श निवासी मिलक भोला  
सिंह मुरादाबाद के सीलिंग वाद सं 315/1589 मेधारा 45के अन्तर्गत पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-02-1992 के द्वारा ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व  
गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर के गाटा संख्या 296 से 8255-88वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त रिक्त घोषित की गई है जिसके सम्बन्ध मे धारा 10(5)का नोटिस दिनांक 09-11-93  
को जारी किया गया तथा राजस्व अभिलेखो मे राज्य सरकार के पक्ष मे अमलदरामद किया गया लेकिन प्रश्नगत वाद मे धारा 10(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष मे कब्जा लेने की कार्यवाही न  
होने के कारण निरसन अधिनियम 1999के परिपेक्ष्य मे पारित सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-16 के द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही उपशमित कर पत्रावली निक्षेप की जाती है ऐसी स्थिति  
मे प्रश्नगत ग्राम सोनकपुर स्थित गाटा संख्या 620 से 4168-41 वर्ग मीटर व गाटा संख्या 547 से 629-17 वर्ग मीटर व ग्राम भीमाठेर की गाटा संख्या 296 से 8255-88 वर्ग मीटर भूमि पर राज्य सरकार  
के नाम के स्थान पर भूधारक श्री महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों ह0आरके23-07-16
- 77) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद के पत्रांक 2190/न0भू0सी0/अमलदरामद/2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 436/5216 सरकार  
बनाम छोटेलाल में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर भूधारक छोटेलाल  
अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हों ह0आर0के0 30/07/16
- 78) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न0भू0सी0/अमलदरामद/ 2016 दिनांक 30/07/16 के अनुपालन मे वाद सं0 1310/5214 सरकार  
बनाम बालकिशन में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक 17/06/16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा सं0 792 क्षेत्रफल 1793.04 वर्ग मीटर भूमि अर्बन सीलिंग से मुक्त कर बालकिशन  
अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम अंकित हों, ह0आर0के0 30/07/16
- 79) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 12.8.16के अनुपालन मे कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद पत्रांक सं0 2219/न0भू0सी0/ 2016 दिनांक 12अगस्त  
2016के अन्तर्गत अख्तर आदि के द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0798मि0की उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1420फ से 1425फ प्रस्तुत की है जिसमे  
0.3080हे0अर्थात 3080वर्गमीटर भूमि अतिरिक्त घोषित दर्ज है सीलिंग वाद सं0 200/600सरकार बनाम अख्तर सीलिंग वाद सं0 173/599 सरकार बनाम मटरू एवं सीलिंग वाद सं0 190/602सरकार  
बनाम मुख्खार मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश 4.8.16के द्वारा भूधारक अख्तर आदि की ग्राम सोनकपुर के गाटा सं0 798 की 4564.25व0मी0भूमि सीलिंग से मुक्त है अत : ग्राम सोनकपुर के  
गाटा सं0 798 की 3080व0मी0भूमि जिसपर अतिरिक्त घोषित दर्ज हो ा के स्थान पर श्री अख्तर , मटरू एवं श्री मुख्खार अथवा उनके वैध वारिसो के नाम दर्ज हो ा ह0आर0के0दि 12.8.16
- 80) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद कम्प्यूटर वाद सं0 टी 20151354014413धारा 210एल0आर0एक्ट ग्राम सोनकपुर गिरीश चन्द्र बनाम भानु प्रकाश शर्मा मे आदेश  
दि 28.9.16के अन्तर्गत वादीगण की अपील की कार्यवाही निरस्त की गई है तथा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.8.2015को भी निरस्त किया गया है खतौनी वर्ष 1420फ से 1425फ

सं० 371 के खसरा नं० 263/1 रकवई 0.2020 हे० अर्थात् 2020.00 वर्ग मीटर लगान वगुजीब दर्ज हो ह० आर० के० दि० 03.10.16

1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 31-01-17 के अनुपालन मे आदेश श्रीमान अपर आयुक्त प्रशासन मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या 2016130092 धारा 219 एल० आर० एक्ट आदेश दिनांक 19-01-17 के अन्तर्गत गिरीश चन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि मे ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर order of lower court shall remain stayed. ह० आर० के० 08-03-17

82) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक संख्या 2476/न० भू० सी०/2017 दिनांक 01-03-2017 के अन्तर्गत सीलिंग वाद संख्या 316/1589 सरकार बनाम श्री महबूब आदेश दिनांक 28-05-2016 मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे दाखिल रिट याचिका संख्या 854/2012 श्री महेन्द्र सिंह बनाम उ० प्र० सरकार मे ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 620 रकवई 4168-41 व गाटा संख्या 547 रकवई 629-17 पर सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक 28-05-2016 के अनुपालन मे उक्त भूमि पर राज्य सरकार के नाम के स्थान पर महबूब अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम दर्ज हो ह० आर० के० 08-03-17

83) 1424फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 21-03-17 के अनुपालन मे जिलाधिकारी मुरादाबाद के आदेश दिनांक 15-03-17 द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 17-06-16 व 04-08-16 अपास्त किये गये है तथा पूर्व जारी कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2190/न० भू० सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का छोटेलाल अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद करने तथा कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण मुरादाबाद पत्रांक 2191/न० भू० सी०/अमलदरामद/2016 दिनांक 30-07-16 ग्राम सोनकपुर गाटा संख्या 792/1793-04 वर्ग मीटर भूमि का बालकिशन अथवा उसके वैध वारिसानो के नाम एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक 2219/न० भू० सी०/2016 दिनांक 12-10-16 के अन्तर्गत ग्राम सोनकपुर की गाटा संख्या 798 की 3080 वर्ग मीटर जिस पर अतिरिक्त घोषित दर्ज है के स्थान पर भूधारक श्री अख्तर, मटरू एवं श्री मुख्त्यार अथवा उनके वैध वारिसानो के नाम राजस्व अभिलेखो मे अमलदरामद किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये गये है दिनांक 12-08-16 को वापस ले लिया गया है तदनुसार उक्त पत्रों के आधार पर भूधारकों के पक्ष मे किये गये अमलदरामद के स्थान पर राज्य सरकार का नाम अंकित किया जाता है ह० आर० के० 24-3-17

84) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान तहसीलदार सदर मुरादाबाद के आदेश दिनांक 02-02-18 के अनुपालन मे - आदेशानुसार न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद वाद सं० टी० 201813540100557 धारा 144 राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 30-01-2018 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम भानु प्रकाश शर्मा आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता संख्या 371 पर वाद के निस्तारण तक मौके पर यथा स्थिति बनाये रखे ह० आर० के० 19-02-18

85) 1425फ आदेशानुसार श्रीमान एस० बी० तिवारी, अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद निगरानी संख्या-सी० 2017130092 धारा 219 एल० आर० एक्ट आदेश दिनांक 27/07/2017 के अन्तर्गत गिरीशचन्द्र गुप्ता बनाम शिवानन्द भारद्वाज आदि में ग्राम सोनकपुर की खाता सं० 371 के गाटा सं० 263/1 रकबा 0.202 हे० अर्थात् 2020.00 वर्ग मी० पर परीक्षण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/08/15 एवं अपीलीय न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28/09/2016 में किसी हस्तक्षेप का औचित्य न पाते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है . इस न्यायालय का स्थगन आदेश यदि कोई हो भी निरस्त किया जाता है ह० आर० के० ह० आर० के० 19/05/2018

86) 1428फ आदेशानुसार श्रीमान कार्यालय रा० नि० दुष्यन्त कुमार क्षेत्र हरथला आवेदन संख्या 20201313500719001441 राजस्व संहिता की धारा 33(2) के अन्तर्गत उत्तराधिकार आदेश दिनांक 19.11.2020 को आदेश हुआ कि खाता सं० 377 पर मृतक खमानी पुत्र तुलाराम के स्थान पर हरपाल सिंह ,ज्ञानपाल सिंह पुत्रगण खमानी सिंह नि० भोगपुर मिठौनी के नाम वतौर वारिस दर्ज हो ह० आर० के० दि० 28.12.2020

Data Digitally Signed by: RAM SINGH RAWAT (REGISTRAR KANOONGO)

दिनांक, समय स्थान: 12-02-2026 02:35:35 तहसील: मुरादाबाद

यह उद्घरण खतोनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता: TUSHAR BHATNAGAR तहसील: मुरादाबाद

मुद्रित दिनांक एवं समय: 12-02-2026 02:35:35

Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्घरण खतोनी का वेरीफिकेशन <https://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

